

# कार्यालय अंचल अधिकारी, सिसई।

## आदेश फलक

वाद का प्रकार :- विविध

वाद सं :- 04/20-21

सोमेश उरांव

बनाम

मोफिल मियां

21.05.2020

आवेदक सोमेश उरांव, पिता - स्व० लोयो उरांव, ग्राम - पण्डरानी, थाना - सिसई द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा - सिसई के खाता संख्या 127, प्लॉट सं० - 2801, रकबा - 0.75½ एकड़ भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है। जिस पर मोफिल मियां वो मोबिन मियां, पिता - स्व० उजीर मियां, ग्राम - छारदा रोड सिसई ने बेवजह दखल-कब्जा कर लिया है। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार मौजा - सिसई के खाता संख्या 127, प्लॉट सं० - 2801, रकबा - 0.75½ एकड़ भूमि पंजी - II के पृष्ठ संख्या - 27, vol - 14 में सोमेश उरांव, पिता - स्व० लोयो उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है।

छोनों पक्षों को खास नोटिश निर्गत कर दस्तावेज की मांग करें।  
दिनांक 05.06.2020 को रखें।

अंचल अधिकारी,  
सिसई।

05.06.2020

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा लगान रसीद की छायाप्रति, शुद्धिपत्र की छायाप्रति एवं निर्बंधित पट्टा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बयान अंकित कराया गया कि वे वर्ष 2012 में मौजा - सिसई के खाता संख्या - 127, प्लॉट संख्या - 2801, रकबा - 1.51 एकड़ में से 0.75½ एकड़ भूमि खतियानी रैयत के वंशज गुडुरु उरांव से खरीदे हैं। जिसका दाखिल-खारिज करवा कर प्रति वर्ष मालगुजारी दे रहे हैं। खरीदने के बाद से 2015 तक मैं जोत चास कर रहा था। परन्तु वर्ष 2016 से मोफिल मियां वो मोबिन मियां, पिता - स्व० उजीर मियां, ग्राम - छारदा रोड सिसई, थाना - सिसई अपना दबंगई से मार-पीट कर घर बना रहा है। कुछ भाग में घर बना लिया है और कुछ भाग को अवैध तरीके से बेच रहा है। जान से मारने की धमकी देता है। डर से वहाँ नहीं जाते हैं। आवेदक ने उक्त भूमि पर दखल दिलाने का अनुरोध किया है।  
लॉकडाउन के उपरान्त आदेशार्थ रखें।

अंचल अधिकारी,  
सिसई।

27.11.2020

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के नाम से दाखिल-खारिज वाद संख्या - 180R27/14-15 के अनुसार मौजा - सिसई के खाता संख्या 127, प्लॉट सं० - 2801, रकबा - 0.75½ एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। आवेदक ने उक्त भूमि पर दखल दिलाने का अनुरोध किया है। दखल दिहानी हेतु सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी,  
सिसई।